पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 117 /अका.का.प/2020 रायपुर, दिनांक 02/09/2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की चौवनवीं बैठक गुरुवार दिनांक 10.09.2020 को अपरान्ह् 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 24.06.2020 एवं आपातिक बैठक दिनांक 10.08.2020 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।** **(पृष्ठ क्र 01 से 05 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 24.06.2020 एवं आपातिक बैठक दिनांक 10.08.2020 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

   टीप : पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. **डॉ. (श्रीमती) विजया कोचे के सी.पी.एफ. राशि के अंतिम भुगतान रु. 23,75,284/- (तेइस लाख पचहत्तर हजार दो सौ चौरासी मात्र) की सूचना ग्रहण करना।**

   टीप : डॉ. (श्रीमती) विजया कोचे, प्रोफेसर, ने दिनांक 01.02.2020 को अनिवार्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक 1075/सा.प्रशा./2020, दिनांक 27.05.2020 के द्वारा इनके विरूद्ध विश्वविद्यालय का बकाया नहीं प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें बकाया राशियों का उल्लेख है। इनके सी.पी.एफ. खाता क्रमांक 10049603845/33810221470 में राशि रु. 23,75,284/- (रुपए तेइस लाख पचहत्तर हजार दो सौ चौरासी मात्र) भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

4. **वित्तीय सत्र 2015-16 का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।** **(पृष्ठ क्र. 6)**

   टीप : उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर से वित्तीय सत्र 2015-16 पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का अंकेक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। वित्तीय सत्र 2015-16 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित कंडिकाओं का निराकरण कर शीघ्रताशीघ्र पालन प्रतिवेदन तैयार किया जाना है। अतः अंकेक्षण प्रतिवेदन माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। कार्यालयीन टीप संलग्न है।

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव

5. **डॉ. एस.के. सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला का नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

   टीप : डॉ. एस.के. सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 1560/स्था./सा.प्रशा./20 दिनांक 16.07.2020 के अनुसार सेवानिवृत्ति पर उनके 202 दिनों के अर्जित अवकाश नगदीकरण रु. 15,50,498/- (रुपए पंद्रह लाख पचास हजार चार सौ अंठ्यानबे मात्र) स्वीकृत किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

6. **श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री के संविदा सेवा अवधि दिनांक 19.02.2020 से 1 वर्ष के लिए वृद्धि किए जाने की सूचना ग्रहण करना।**

टीप : श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री के संविदा सेवा अवधि दिनांक 18.02.2020 को पूर्ण होने पर संविदा सेवावृद्धि के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.02.2020 के निर्णयानुसार संविदा सेवा अवधि को दिनांक 19.02.2020 से 1 वर्ष के लिए वृद्धि हेतु प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर को वि.वि. पत्र क्रमांक 703/स्था./सा.प्रशा./2020 दिनांक 29.02.2020 के द्वारा प्रेषित किया गया था।

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 665/133/2019/38–2 दिनांक 25.08.2020 के द्वारा श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर संविदा सेवा अवधि दिनांक 19.02.2020 से 01 वर्ष के लिये वृद्धि किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

<u>विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

7. **गोपनीय विभाग के लिए अलग–अलग प्रकार के सामग्री क्रय करने के लिए राशि रु. 8,00,000.00 (रुपए आठ लाख मात्र) स्वीकृति के संबंध में विचार करना।** **(पृष्ठ क्र. 7)**

टीप : विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग द्वारा वार्षिक/पूरक/सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2020 के लिए अलग–अलग प्रकार के लिफाफा जिसकी संख्या 2,80,000 (दो लाख अस्सी हजार मात्र) है। इसी प्रकार अलग–अलग मशीनों के लिए Original Cartridge 31 नग, एवं अन्य सामग्री क्रय किया जाना है, जिस पर रु. 8,00,000.00 (रुपए आठ लाख मात्र) व्यय होने की संभावना है। अतः गोपनीय विभाग के लिए अलग–अलग प्रकार की सामग्री क्रय करने के लिए रु. 8,00,000.00 (रुपए आठ लाख मात्र) स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न है।

8. **डिग्री मुद्रण देयक राशि रु. 16,81,500/– (रुपए सोलह लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र) के भुगतान किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।** **(पृष्ठ क्र. 8)**

टीप : विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के अलग–अलग विषयवार डिग्री मुद्रण हेतु अनुबंधित फर्म Offset Printing House, Chanakyapuri Colony, Semariya Chowk, Satna (M.P.) को कुल 23,750 नग डिग्री मुद्रण कर आपूर्ति करने हेतु पत्र क्र. 184/विकास/2020 दिनांक 06.06.2020 के द्वारा आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म द्वारा कुल 23,750 नग डिग्री मुद्रण कर डिग्री सेल में आपूर्ति करने के पश्चात देयक क्र. 38, दिनांक 09.07.2020 रु. 16,81,500.00 (रुपए सोलह लाख इक्यासी हजार पाँच सौ मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राप्त देयक को प्रभारी अधिकारी (डिग्री सेल) द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत देयक के भुगतान हेतु विकास विभाग को प्रेषित किया गया है। उक्त देयक को स्टॉक पंजी P-9 के पृष्ठ क्र. 47 में दर्ज किया गया है। अतः संबंधित फर्म को भुगतान करने के लिए कुल देयक राशि रु. 16,81,500.00 (रुपए सोलह लाख इक्यासी हजार पाँच सौ मात्र) स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। कार्यालयीन टीप संलग्न है।

9. **विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विचार करना।** **(पृष्ठ क्र. 9)**

टीप : विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु वर्तमान में कार्य कर रहे फर्म New Bharat Security & Detective Sercvices, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के कार्यकाल को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.02. 2020 के विषय क्रमांक 9 पर लिए गए निर्णय अनुसार दिनांक 01.03.2020 से 31.08.2020 तक वृद्धि की गई है।

विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा सूचना क्र. 223/विकास/निसू./2020 दिनांक 14.08.2020 के द्वारा निविदा प्रकाशन समाचार पत्रों में छ.ग. संवाद के माध्यम से किया गया है। निविदा दिनांक 14.09.2020 तक आमंत्रित किया जाना है एवं दिनांक 16.09.2020 को खोला जाना है।

उक्त फर्म का कार्यकाल दिनांक 31.08.2020 को समाप्त हो रहा है। अतः विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 02 माह के लिए New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के कार्यकाल में वृद्धि किये जाने के लिए स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. **महाविद्यालयों को सत्र 2019–20 का सब्सिडी राशि दिए जाने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।**
(पृष्ठ क्र. 10)

टीप : प्रतिवर्षानुसार सत्र 2019–20 महाविद्यालयों को बजट प्रावधानानुसार सब्सिडी राशि दिए जाने का प्रावधान है। बजट में रु. 8.00 लाख (रुपए आठ लाख मात्र) का प्रावधान है (बजट प्रति संलग्न है)। महाविद्यालयों को प्रदान की जाने वाली (महाविद्यालयों की सूची अनुसार) कुल सब्सिडी राशि रुपए 5.66 लाख (रुपए पाँच लाख छैसठ हजार मात्र) का माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। कार्यालयीन टीप संलग्न है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

11. **छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2019 में संलग्न धारा 14 का 2, धारा 36 का 3, एवं धारा 33 का 4 में हुए संशोधन को स्वीकार करने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।**
(पृष्ठ क्र. 11 से 23 तक)

टीप : छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 74 दिनांक 05 मार्च, 2019 एवं उप संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) से प्राप्त पत्र क्रमांक 486/42/आउशि/सम/2020, दिनांक 02.07.2020 के परिपालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2019 में संलग्न धारा 14 का 2, धारा 36 का 3, धारा 33 का 4 में हुए संशोधन को माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

आई.क्यू.ए.सी. से प्राप्त प्रस्ताव

12. **आई.क्यू.ए.सी. की बैठक दिनांक 29.06.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।**

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है। **(पृष्ठ क्र. 24 से 27 तक)**

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव

13. **गोपनीय मुद्रण भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।** (पृष्ठ क्र. 28)

टीप : वर्ष 2019--20 की विभिन्न सेमेस्टर (I & III Sem. & II & IV Sem. (ATKT) DEC-JAN 2019-20) के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत फर्म, जिसको कार्यपरिषद् की 44वीं बैठक दिनांक 23.02.2019 (अध्यक्ष की अनुमति से प्रकरण क्रमांक--3) में अनुमोदन के फलस्वरूप अनुबंधित किया गया है।

अनुबंधित फर्म द्वारा उक्त कार्य संपादन उपरांत राशि 11,81,025/-- (रुपए ग्यारह लाख इक्यासी हजार पच्चीस मात्र) का देयक प्रस्तुत किया गया है, जिसे गोपनीय विभाग द्वारा सत्यापित किया गया है।

अतः संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक रु. 11,81,025/-- (रुपए ग्यारह लाख इक्यासी हजार पच्चीस मात्र) के भुगतान के पूर्व स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न है।

विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव

14. **विश्वविद्यालय में प्रस्तावित महिला छात्रावास एवं गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु आर्किटेक्ट फर्म से अनुबंध के संबंध में विचार करना।** (पृष्ठ क्र. 29)

टीप : विश्वविद्यालय में प्रस्तावित महिला छात्रावास एवं गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु वास्तुविद् से संबंधित सेवाएँ देने हेतु भवन निर्माण समिति की अनुशंसा दिनांक 06.02.2020 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.02.2020 में हुए अनुमोदन अनुसार फर्म श्रीवास्तव बागरेचा एंड एसोसिएट्स से आर्किटेक्ट संबंधी कार्य कराया जाना है शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त निर्माण से संबंधित आर्किटेक्ट कार्य फर्म श्रीवास्तव बागरेचा एंड एसोसिएयट्स से कराए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

15. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार

5.9.20

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 118/अका.का.प/2020 रायपुर, दिनांक 02/09/2020

प्रतिलिपिः--

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

05.9.20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 2947/अका./का.प/2020 रायपुर, दिनांक 24/06/2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बावनवीं बैठक बुधवार दिनांक 24.06.2020 को अपराहन 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1.	डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा	– सदस्य	8.	डॉ. भजन सिंह छाबड़ा	– सदस्य
2.	डॉ. एस.के. जाधव	– सदस्य	9.	डॉ. ममता शर्मा	– सदस्य
3.	डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा	– सदस्य	10.	डॉ. समीर ठाकुर	– सदस्य
4.	डॉ. कल्लोल कुमार घोष	– सदस्य	11.	श्री अतीश पाण्डेय	– सदस्य
5.	डॉ. प्रोमिला सिंह	– सदस्य	12.	श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य
6.	डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल	– सदस्य	13.	श्री द्वारिकाधीश यादव	– सदस्य
7.	डॉ. चन्द्र शेखर चौबे	– सदस्य	14.	श्री डमरूधर पुजारी	– सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.03.2020 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.03.2020 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

<u>जैविकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

3. SERB परियोजना के अंतर्गत् जैविकी अध्ययनशाला के लिए उपकरण क्रय किए जाने हेतु राशि रुपए–14,07,000/– (अक्षरी रुपए–चौदह लाख सात हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

<u>निर्णय:</u> **SERB** परियोजना के अंतर्गत् जैविकी अध्ययनशाला के लिए उपकरण **Proprietary instrument** जिसे **Metro auto lab B.V. The Neatherlands** से क्रय किए जाने हेतु राशि रुपए–14,07,000/– (अक्षरी रुपए–चौदह लाख सात हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>मूलविज्ञान केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

4. मूलविज्ञान केंद्र हेतु उपकरण क्रय किए जाने के लिए राशि रुपए–13,92,865/– (तेरह लाख बियानबे हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय: मूलविज्ञान केंद्र हेतु **L1** दर के आधार पर **Osaw Industrial, Pvt. Ltd., Ambala** व **INSIF India, 2817, Iqbal Ganj Road, Ambala, Haryana** से उपकरण क्रय किए जाने के लिए राशि रुपए–13,92,865/– (तेरह लाख बियानबे हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. मेसर्स आदर्श किराया भण्डार के देयक राशि के भुगतान हेतु राशि रुपए–12,15,525/– (अक्षरी रुपए–बारह लाख पंद्रह हजार पाँच सौ पच्चीस मात्र) भुगतान किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय :मेसर्स आदर्श किराया भण्डार के देयक राशि के भुगतान हेतु राशि रुपए–12,15,525/– (अक्षरी रुपए–बारह लाख पंद्रह हजार पाँच सौ पच्चीस मात्र) भुगतान किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. डॉ. (श्रीमती) स्मिता शर्मा, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी–मूलविज्ञान केंद्र, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके पद पर स्थायीकरण किए जाने पर विचार करना।

निर्णयः डॉ. श्रीमती स्मिता शर्मा की नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर, अंग्रेजी के पद पर माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय में दायर प्रकरण क्रमांक 447/2017,1976/2017,1687/2017 पर पारित निर्णय दिनांक 16.08.2017 के अनुसार माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन, उनके पद पर दिनांक 28.08.2019 से स्थायीकरण किए जाने का अनुमोदन किया गया।

7. 'सृजनशील विदुषी समिति' पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर के निर्माण की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः 'सृजनशील विदुषी समिति' पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर के गठन की सूचना ग्रहण की गई और विश्वविद्यालय की ओर से राशि रु. 50,000/– (पचास हजार रुपए मात्र) का सहयोग राशि दिए जाने का अनुमोदन किया गया।

8. डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के धारणाधिकार की अवधि में वृद्धि के संबंध में।

निर्णयः डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके आवेदन दिनांक 15.06.2020 के अनुक्रम में दिनांक 25.07.2020 से 24.10.2020 तक 03 माह के धारणाधिकार की अवधि में वृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया।

विश्वविद्यालय मानव विकास संसाधन केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. HRDC की Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 07.03.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः HRDC की Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 07.03.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. UGC 12th Plan के अंतर्गत राशि से रसायन अध्ययनशाला हेतु क्रय की गई सामग्री An 1800 Watt CEM iWave Microwave digestion System Model MARS 6 iWave 240V/50 Hz., Rs. 20,79,000/- (बीस लाख उन्यासी हजार रुपए मात्र) की कार्येत्तर स्वीकृति एवं भुगतान हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय :UGC 12th Plan के अंतर्गत राशि से रसायन अध्ययनशाला हेतु क्रय की गई सामग्री An 1800 Watt CEM iWave Microwave digestion System Model MARS 6 iWave 240V/50 Hz., Rs. 20,79,000/- (बीस लाख उन्यासी हजार रुपए मात्र) की कार्येत्तर स्वीकृति एवं भुगतान हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

3

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव

11. केंद्रीय क्रय समिति के पुनर्गठन हेतु कार्यपरिषद् की ओर से एक सदस्य मनोनीत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः केंद्रीय क्रय समिति के पुनर्गठन हेतु कार्यपरिषद् की ओर से एक सदस्य डॉ. कल्लोल कुमार घोष, सदस्य कार्यपरिषद, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम का अनुमोदन किया गया।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से संबंधित प्रस्ताव

12. पुस्तक क्रय देयक राशि रु. 7,72,522/- (सात लाख बहत्तर हजार पाँच सौ बाईस रुपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः पुस्तक क्रय देयक राशि रु. 7,72,522/- (सात लाख बहत्तर हजार पाँच सौ बाईस रुपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव

13. नोडल मूल्यांकन केंद्र/केंद्रीय मूल्यांकन इकाई 2020, अग्रिम राशि रु. 65,10,000/- (पैंसठ लाख दस हजार रुपए मात्र) (अंतिम किस्त) के संबंध में विचार करना।

निर्णयः नोडल मूल्यांकन केंद्र/केंद्रीय मूल्यांकन इकाई 2020, अग्रिम राशि रु. 65,10,000/- (पैंसठ लाख दस हजार रुपए मात्र) (अंतिम किस्त) प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव

14. श्री बृजलाल पटेल, पूर्व लैब टेक्नीशियन, भूगोल अध्ययनशाला के सी.पी.एफ. की कुल राशि रु. 5,57,043/- (पाँच लाख संतावन हजार तिरालीस रुपए मात्र) के किए गए भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः श्री बृजलाल पटेल, पूर्व लैब टेक्नीशियन, भूगोल अध्ययनशाला के सी.पी.एफ. की कुल राशि रु. 5,57,043/- (पाँच लाख संतावन हजार तिरालीस रुपए मात्र) के किए गए भुगतान की सूचना ग्रहण की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.06.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.06.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. वार्षिक परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2019-20 का देयक (GST सहित) राशि रु. 2,11,83,431/- (दो करोड़ ग्यारह लाख तिरासी हजार चार सौ इकत्तीस रुपए मात्र) एजेंसी को भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2019-20 का देयक (GST सहित) राशि रु. 2,11,83,431/- (दो करोड़ ग्यारह लाख तिरासी हजार चार सौ इकत्तीस रुपए मात्र) एजेंसी को भुगतान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

3. कूलर क्रय देयक राशि रु. 7,36,260/— (सात लाख छत्तीस हजार दो सौ साठ रुपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः कूलर क्रय देयक राशि रु. 7,36,260/— (सात लाख छत्तीस हजार दो सौ साठ रुपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :—

4. UGC- XII Plan equipment head के अंतर्गत रसायन विभाग द्वारा Refrigerated Centrifuge System- INN. No. 302/19-20/dated 18-03-2020 राशि रु. 6,56,250/— (छः लाख छप्पन हजार दो सौ पचास रुपए मात्र) क्रय की गई उपकरण के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः UGC- XII Plan equipment head के अंतर्गत रसायन विभाग द्वारा Refrigerated Centrifuge System- INN. No. 302/19-20/dated 18-03-2020 राशि रु. 6,56,250/— (छः लाख छप्पन हजार दो सौ पचास रुपए मात्र) क्रय की गई उपकरण के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विधिक प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :—

5. डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के निलंबन अवधि एवं स्वत्वों की भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय दिनांक 30.01.2019 एवं अवमानना याचिका क्रमांक 625/2019 एवं 737/2019 के परिप्रेक्ष्य में डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के निलंबन अवधि दिनांक 24.08.2017 से 30.03. 2018 तक को पेंशन प्रकरण हेतु सेवाकाल मान्य करते हुए निलंबन अवधि के निर्वाह भत्ता के अलावा अतिरिक्त वेतन नहीं दिए जाने तथा उनके सेवानिवृत्ति स्वत्वों के भुगतान का अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :—

6. कु. ज्योति साहू UGC-NFO-2018-19 OBC JRF भूगोल को कनिष्ठ अध्येतावृत्ति एवं मकान भाड़ा भत्ता राशि रु. 6,56,700/— (छः लाख छप्पन हजार सात सौ रुपए मात्र) भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः कु. ज्योति साहू UGC-NFO-2018-19 OBC JRF भूगोल को कनिष्ठ अध्येतावृत्ति एवं मकान भाड़ा भत्ता राशि रु. 6,56,700/— (छः लाख छप्पन हजार सात सौ रुपए मात्र) भुगतान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 2948/अका./का.प/2020

रायपुर, दिनांक 24/06/2020

प्रतिलिपि :—

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक—सी—30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

5

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 09 /अका./का.प/2020 रायपुर, दिनांक 10/08/2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की तिरपनवीं बैठक (आपातिक) सोमवार, दिनांक 10.08.2020 को अपराह्न 2:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा – सदस्य
2. डॉ. एस.के. जाधव – सदस्य
3. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा – सदस्य
4. डॉ. कल्लोल कुमार घोष – सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल – सदस्य
6. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा – सदस्य
7. डॉ. ममता शर्मा – सदस्य
8. डॉ. समीर ठाकुर – सदस्य
9. श्री राजेश कुमार सिसोदिया – सदस्य
10. श्री गोविंद चंद्राकर – सदस्य
11. डॉ. एम.एल. नायक – सदस्य
12. श्री सोनऊ राम नेताम – सदस्य
13. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव – सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के आदेश क्र. एफ 3–33/2020/38–1 दिनांक 30.07.2020 के अनुसार कोविड–19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2019–20 के अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की सभी विषयों की परीक्षाएं यू.जी.सी. द्वारा दिनांक 06.07.2020 को जारी निर्देश के पालन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **कोविड–19 महामारी के कारण परीक्षा आयोजन के संबंध में यू.जी.सी. के दिशा–निर्देश दिनांक 29.04.2020 एवं 06.07.2020 तथा राज्य शासन के आदेश क्र. एफ 3–33/2020/38–1, दिनांक 01.06.2020 एवं 30.07.2020 के दृष्टिगत परीक्षा अध्यादेश क्रमांक–5 में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.08.2020 में अनुशंसित संशोधन का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

10.8.20
कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 10 /अका./का.प/2020 रायपुर, दिनांक 10/08/2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10.8.20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

संक्षेपिका

उपसंचालक,स्थानीय निधि संपरीक्षा,रायपुर से वित्तीय सत्र 2015–16 पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का अंकेक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। वित्तीय सत्र 2015–16 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित कंडिकाओं का निराकरण कर शीध्रातिशीध्र पालन प्रतिवेदन तैयार किया जाना है। अतः अंकेक्षण प्रतिवेदन माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

वित्त नियंत्रक

(7)

कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– गोपनीय विभाग के लिये अलग–अलग प्रकार के सामग्री क्रय करने के लिये राशि रू.8,00,000.00 (आठ लाख मात्र) स्वीकृति हेतु विचार करना ।

वि.वि. के गोपनीय विभाग द्वारा वार्षिक/पूरक/सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2020 के लिये अलग–अलग 34 प्रकार के सामग्री क्रय हेतु क्रय कर प्रदान हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसमें अलग–अलग प्रकार के लिफाफा जिसकी संख्या 2,80,000 (दो लाख अस्सी हजार मात्र) है।

इसी प्रकार अलग–अलग मशीनों के लिये Original Cartridge 31 नग, एवं अन्य सामग्री क्रय किया जाना है, जिस पर रू.8,00,000.00 (आठ लाख मात्र) व्यय होने की संभावना है।

अतः गोपनीय विभाग के लिये अलग–अलग प्रकार के सामग्री क्रय करने के लिये रू.8,00,000.00 (आठ लाख मात्र) स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

3-9-2020

DR (Dev.)

d:\2020\dev\e.c.2020.docx

(8)

कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– डिग्री मुद्रण देयक राशि रू.16,81,500.00 के भुगतान के संबंध में विचार करना ।

वि.वि. द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के अलग–अलग विषयवार डिग्री मुद्रण हेतु अनुबंधित फर्म Offset Printing House, Chanakyapuri colony, Semariya Chowk, Satna (M.P.) को कुल 23,750 नग डिग्री मुद्रण कर आपूर्ति करने हेतु पत्र क्रं. 184/विकास/2020 रायपुर, दिनांक 06/06/2020 के द्वारा आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म द्वारा कुल 23,750 नग डिग्री मुद्रण कर डिग्री सेल में आपूर्ति करने के पश्चात देयक क्रं.38 दिनांक 09/07/2020 रू.16,81,500.00 (सोलह लाख इक्यासी हजार पाँच सौ) मात्र भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राप्त देयक को प्रभारी अधिकारी(डिग्री सेल) द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत देयक के भुगतान हेतु विकास विभाग को प्रेषित किया गया है। उक्त देयक को स्टॉक पंजी P-9 के पृष्ठ क्रं. 47 में दर्ज किया गया है।

अतः संबंधित फर्म को भुगतान करने के लिए कुल देयक राशि रू.16,81,500.00 (सोलह लाख इक्यासी हजार पाँच सौ) मात्र स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

28-8-2020 DR (Dev.)

कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :— वि.वि. परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ।

वि.वि. परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु वर्तमान में कार्य कर रहे फर्म New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के कार्यकाल को कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14/02/2020 के विषय क्रमांक 9 पर लिये गये निर्णय अनुसार दिनांक 01/03/2020 से 31/08/2020 तक वृद्धि की गई है।

वि.वि. परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा सूचना क्रं.223/विकास/निसू./2020 रायपुर, दिनांक 14/08/2020 के द्वारा निविदा प्रकाशन समाचार पत्रों में छ.ग. संवाद के माध्यम से किया गया है। निविदा दिनांक 14/09/2020 तक आमंत्रित किया जाना है एवं दिनांक 16/09/2020 को खोला जाना है।

उक्त फर्म का कार्यकाल दिनांक 31/08/2020 को समाप्त हो रहा है। अतः वि.वि. परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 02 माह के लिए New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के कार्यकाल में वृद्धि किये जाने के लिए स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

28-8-2020 DR (DEV.)

(5)

संक्षेपिका

प्रतिवर्षानुसार की भांति सत्र 2019–20 महाविद्यालयों को बजट प्रावधानानुसार सबसिडी राशि दिये जाने का प्रावधान है। बजट में 8.00 लाख रूपये (आठ लाख रूपये मात्र) का प्रावधान है (बजट प्रति संलग्न है) महाविद्यालयों को प्रदान की जाने वाली (महाविद्यालयों की सूची अनुसार) कुल सबसिडी राशि 5.66 लाख रूपये (पांच लाख छैसठ हजार रूपये मात्र) का विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

Director
Physical Education
Pt. R.S. University, Raipur

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
--00--

क्रमांक 486/42/आउशि/सम/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 02/07/2020

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त राजकीय विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषय :- **छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2019।**

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2019 दिनांक 05 मार्च 2019 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(पंकज कुमार मेहता)
उप संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / /आउशि/ सम/2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ....
प्रतिलिपि :-

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

R. 3464
02/07/2020

“रजिस्टर्ड पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 मार्च 2019 — फाल्गुन 14, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2019

क्रमांक 2383/डी. 62/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 04-03-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 2 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 14 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है), धारा 14 में, उप-धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(6) कुलपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश, रूग्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य शासन की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य या राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का

गई अधिकारी कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि कोई कुलपति, जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 13 की उप–धारा (1) या उप–धारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, यथास्थिति, अपना पद ग्रहण या पुनः पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परन्तु इस उप–धारा में अनुध्यात व्यवस्था छः मास से अधिक की कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी।''

3. मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :– धारा 36 का संशोधन.

''36. **परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे.–** (1) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाया जायेगा;

(2) कार्यपरिषद्, इस धारा में इसमें इसके पश्चात् उपबंधित की गई रीति में, समय–समय पर, कोई परिनियम बना सकेगी, संशोधन कर सकेगी अथवा निरसित कर सकेगी।

(3) विद्या परिषद्, कार्य परिषद् को किसी नवीन परिनियम का अथवा कार्य परिषद् द्वारा पारित किन्हीं विद्यमान परिनियम में संशोधन अथवा निरसन करने का प्रारूप प्रस्तावित कर सकेगी तथा ऐसे प्रारूप (प्रस्ताव) पर कार्यपरिषद् द्वारा आगामी बैठक में विचार किया जायेगा:

परंतु यह कि विद्या परिषद्, किन्हीं ऐसे

परिनियम के या किसी परिनियम में किसी ऐसे संशोधन के, जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नही करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रस्ताव पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो, और इस प्रकार प्रकट की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् द्वारा उप–धारा (3) के अधीन प्रस्तावित प्रारूप पर विचार कर सकेगी एवं उसे या तो पारित कर सकेगी या उसे अस्वीकृत कर सकेगी अथवा संशोधन सहित या संशोधन के बिना, विद्या परिषद् को पुनर्विचारार्थ लौटा सकेगी।

(5) (क) कार्यपरिषद् का कोई भी सदस्य, किसी परिनियम का प्रारूप कार्यपरिषद् को प्रस्तावित कर सकेंगे एवं कार्यपरिषद, ऐसे प्रारूप को या तो स्वीकृत कर सकेगी या अस्वीकृत कर सकेगी, यदि प्रारूप विद्या परिषद् के कार्यक्षेत्र के भीतर न आने वाले किसी विषय से संबंधित हो।

(ख) यदि ऐसा प्रारूप विद्या परिषद् के कार्यक्षेत्र के भीतर के विषय से संबंधित हो, तो कार्यपरिषद्, उसे विद्यापरिषद् के विचारार्थ संदर्भित करेगी, जो,–

(एक) प्रारूप पर, यदि उसकी असहमति हो तो, अपनी असहमति से कार्यपरिषद् को अवगत करायेगी और तब उसके बारे में यह समझा

अथवा कि उसे कार्यपरिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;

(दो) अथवा प्रारूप को कार्यपरिषद् को ऐसे रूप मे, जैसा कि विद्या परिषद् स्वीकृत करे, प्रस्तुत करेगी तथा कार्यपरिषद् या तो संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेगी।

(6) कार्यपरिषद् द्वारा पारित परिनियम, राज्य शासन को भेजा जायेगा, जो उसे अपनी अनुशंसा सहित कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा । कुलाधिपति उस पर अपनी सहमति दे सकते है या सहमति रोक सकते हैं अथवा पुनर्विचार के लिये वापस कर सकते हैं।

(7) कार्यपरिषद् द्वारा पारित परिनियम की कोई वैधता नहीं होगी, यदि कुलाधिपति द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई हो।"

4. मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात:— धारा 38 का संशोधन.

"38. **अध्यादेश किस प्रकार बनाये जायेंगे.**— (1) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे।

(2) कार्यपरिषद् द्वारा निर्मित अध्यादेश राज्य शासन को भेजा जायेगा, जो उसे अपनी अनुशंसा सहित कुलाधिपति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। कुलाधिपति अध्यादेश को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं ।

(3) कार्यपरिषद् द्वारा निर्मित अध्यादेश,

कुलाधिपति द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख से प्रवृत्त होगा।"

द्वितीय अनुसूची के भाग–दो (पुनरीक्षित) का संशोधन.	5.	मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग–दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (2) की प्रविष्टियों में, शब्द "सरगुजा विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा" प्रतिस्थापित किया जाये ।
छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क. 18 सन् 2008) की धारा 7 का संशोधन.	6.	छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क. 18 सन् 2008) के धारा 7 की उप–धारा (4) के खण्ड (ख) में, शब्द "सरगुजा विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा" प्रतिस्थापित किया जाये।

अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2019

क्रमांक 2383/डी. 62/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.—– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-03-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 2 of 2019)

THE CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

An Act to further amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 14.

2. In the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 14, for sub-section (6), the following shall be substituted, namely:-

"(6) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Kulapati by reason of his death, resignation, leave, illness or otherwise including a

temporary vacancy, the Rector and if no Rector has been appointed or if the Rector is not available then on recommendation of the State Government, the Dean of any faculty or the Senior most Professor of the University Teaching Department or any Officer not below the rank of Special Secretary of the State Government to be nominated by the Kuladhipati for that purpose shall act as the Kulapati until the date on which Kulapati is appointed, for filling such vacancy, under sub-section (1) or sub-section (7) of Section 13 enters or re-enters, as the case may be, upon his office:

Provided that the arrangement contemplated in his sub-section shall not continue for a period of more than six months."

Amendment of Section 36.

3. In the Principal Act, for Section 36, the following shall be substituted, namely:-

"36. Statutes how made.-(1) The first statutes of the University shall be prepared by the State Government;

(2) The Executive Council may from time to time make amend or repeal any statute in the manner hereinafter provided in this Section.

(3) The Academic Council may propose to the Executive Council, the draft of any new statute or of any amendment to, or of repeal of an existing statute to be passed by the Executive Council and such draft shall be considered by the Executive Council at its next meeting:

Provided that the Academic Council shall not propose the draft of any statute or any amendment of a statute affecting the status, power or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given any opportunity to express its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

(4) The Executive council may consider the draft proposed by the Academic Council under sub-section (3) and may either pass or reject or return the draft with or without amendment to the

Academic Council for reconsideration.

(5) (a) Any member of the Executive Council may propose to the Executive Council the draft of a Statutes and the Executive Council may either accept, or reject the draft, if it relates to a matter not falling within the purview of the Academic Council;

(b) In case such draft relates to a matter within the purview of the Academic Council, the Executive Council shall refer it for consideration of the Academic Council, which may,-

(i) either report to the Executive Council that it does not approve the draft, which shall then be deemed to have been rejected by the Executive Council;

(ii) or submit the draft to the Executive Council in such form as the Academic Council may approve and the Executive Council may either approve, with or without amendment reject the draft.

(6) A Statute passed by the Executive Council shall be sent to the State Government who with its recommendation shall submit it before the Kuladhipati. Kuladhipati may give or withhold his assent thereto or refer it back for further consideration.

(7) A Statutes passed by the Executive Council shall have no validity unless it has been assented to by the Kuladhipati."

4. For Section 38 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 38.**

"38.**Ordinances how made.**- (1) All Ordinances except the first Ordinance shall be made by the Executive Council.

(2) Any Ordinance made by the Executive Council shall be sent to the State Government who with its recommendation shall submit it before the Kuladhipati for his approval. Kuladhipati may either accept or reject the Ordinance.

(3) An Ordinance made by the Executive Council shall come into force from the

date of its approval by the Kuladhipati."

Amendment of Part-II (Revised) of the Second Schedule.	5.	In entries of column (2) of serial number 2 of Part-II (Revised) of the Second Schedule of the Principal Act, for the words "Sarguja Vishwavidyalaya", the words "Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Surguja" shall be substituted.
Amendment of Section 7 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (No.18 of 2008).	6.	In clause (b) of sub-section (4) of Section 7 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (No. 18 of 2008), for the words "University of Ambikapur", the words "Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Surguja" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019

Pt. Ravishankar Shukla University

INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELL

Minutes of the meeting of IQAC 29 June 2020.

The meeting of the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) was held on 29 June 2020 at 12:00 PM in the Vice-Chancellor's office.
Following Members were present

S. No.	Name	Status	Designation and Address
1.	Prof. Keshari Lal Verma	Chairperson	**Vice-Chancellor,** Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
2.	Prof. Girish Kant Pandey	Member	**Registrar,** Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
3.	Prof. A.K. Gupta	Member	**Director,** College Development Council & Professor, School of Studies in Life Science, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
4.	Prof. K. K. Ghosh	Member	**Director,** Centre for Basic Science & **Professor,** School of Studies in Chemistry, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
5.	Dr. S. Sengupta	Member	**Librarian,** Pt. Sundarlal Sharma Library, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
6.	Prof. R. Venugopal	Member	**Director,** Centre for Women Studies, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
7.	Prof. Mitashree Mitra	Member	**Professor,** School of Studies in Anthropology, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
8.	Prof. Maya Verma	Member	**Professor,** School of Studies in Library & Information Science, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
9.	Prof. A. Parganiha	Member	**Professor,** School of Studies in Life Science, PTRSSU, Raipur
10.	Dr. S. J. Daharwal	Member	**Dy. Reg. (in charge)** Academic Department, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
11.	Prof. Promila Singh	Member	**Member of Executive Council,** Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
12.	Prof. Shailendra Saraf	Director	**Professor,** University Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

The meeting of Internal Quality Assurance Cell (IQAC) started with the welcome of the chair and he appealed to all the members to initiate all-round efforts for the next accreditation cycle scheduled in the last quarter of 2021.

The following business was transacted.

1. Reporting of Activities of IQAC

The director of IQAC appraised various activities & initiatives and the same was put on record.

2. Discussion on the Report of Internal Quality Audit of Academic Units of the University.

The internal audit report of the academic unit – Schools/Institutes, was presented by the Director and discussed in detail. Honourable Vice-Chancellor showed his willingness to visit all the department in order to expedite the work and initiate new activities.

3. Discussion on the Report of Internal Quality Audit of Administrative Units of the University.

The internal audit report of administrative units was presented by the Director. It was discussed in detail and decided that the university will take a note of the recommendation and necessary steps will be initiated.

4. Reporting other initiatives

I. NIRF Ranking

The NIRF 2020 report was presented by the director and the members congratulated Honourable Vice-Chancellor for this achievement and appreciated the contribution of committee members.

II. Progress of AQAR Submission

It was informed that AQAR will be submitted within the July 2020 and the same committee will continue for the next year. The efforts will be initiated for the timely submission of next AQAR and if required the previous AQAR will also be submitted online.

The members appreciated the work of AQAR committee.

III. Initiatives on SSR Preparation

The SSR committee is constituted and will be functional by July 2020 to commence the preparation of SSR for the next cycle.

5. Consideration for the Constitution of Committees and Cells

It was unanimously decided to constitute following committees at the university level.

I. Constitution of Core Committee

The committee will be constituted with the nomination of Chairman & Members by the Honourable Vice-Chancellor. The committee will supervise the preparation of SSR and onsite visit of NAAC Peer Team committee.

II. Constitution of Research Promotion Cell

It was agreed to constitute a cell to promote research, collaboration and consultancy in the University. The committee will suggest the ways and means to create an ecosystem for invention and innovation. Further, the committee will finalize the mechanism for the following activities.

a. Research incentive scheme
b. The mechanism for capacity building for project writing
c. Capacity building for research paper writing & submission

6. Review of Previous Initiatives

23

i. Constitution of Committee for the Review of CBCS

ii. Constitution of Committee for Implementation of the Outcome-Based Learning and Blended Learning.

iii. Constitution of Committee to develop a mechanism to quantify the revision in the syllabus

iv. Constitution of Committee for the review of Examinations and Reforms

v. University-Industry Partnership

7. Sensitization of Different Units and Submission of Information

The members of IQAC resolved that different cells and centres, constituted by the University will be sensitized to organize various activities assigned to them and submit the report to the University.

i. Vision Committee
ii. Research and Consultancy
iii. Alumni Association
iv. MoU's and Collaboration
v. Training and Placement cell
vi. Feedback Cell
vii. Maintenance and development of infrastructure
viii. Renewable energy and green audit Cell
ix. Incubation Centre

8. Discussions on Action taken on recommendations of NAAC peer team

The Peer team report of NAAC was discussed and it was decided that the university will initiate efforts to implement all the recommendation of NAAC Peer Team Committee.

9. Discussions for the recommendations

The IQAC recommended a few quality enhancement initiatives at i. University; ii. Institute/ SoS; iii. faculty level.

I. University

a. Vision & Mission Statement
It was decided that the Vision Committee would review and redraft the Vision and Mission statement as per the contemporary needs.

b. Action Plan
Based on the recommendation of the vision committee the action plan will be prepared at the university level.

c. Recruitment of Faculty
The University will initiate the recruitment process of the faculty members.

d. Recruitment of Non-Teaching Staff
The University will initiate the recruitment process of the non-teaching staff of the University

e. New Departments/Schools/Centres
The University will start the process for the establishment of new schools and Institutions in accordance with statutory provisions of the University

f. New Courses
New courses will be started in different schools & Institute with the required statutory approvals of the University.

The University will start the process for the establishment of new schools and Institutions in accordance with statutory provisions of the University

f. New Courses
New courses will be started in different schools & Institute with the required statutory approvals of the University.

g. Centralized Data Management System
The University will establish a centralized data management system by constituting a Data Management Cell in the University.

h. Incubation Cell
The University will establish an incubation cell in the University in order to translate the ideas into reality.

i. Quality Enhancement of Research and Collaborative Research
Adequate effort shall be made for quality enhancement & collaborative research.

j. Special coaching for competition examination
The coaching centre shall be directed to submit a proposal in this regard.

k. Infrastructural Development
The University will prepare a consolidated infrastructure development plan

l. Smart Class Rooms
The University is in the process to procure smart boards to all the School and Institutes of the University.

II. Faculty

Honourable Vice-Chancellor will sensitize all the faculty members and begin appropriate efforts for the capacity building of staff.
The Proposed Ready Reckoner will be circulated amongst the faculty members which will help them to plan their activities well in advance.

III. SoS/ Institutes

a) Information brochure and projection of the SoS
The SoS and Institutes shall prepare their information brochures stating future plans.

b) Infrastructure Maintenance and further development
The school shall be required to submit the requirements for maintenance and further development of infrastructure.

c) Procurement, Maintenance and Utilization of Instrumental facilities

The action plan will be prepared by the schools and submitted to University for the procurement, maintenance and utilization of instrumental facilities.

Dr. G. K. Pandey, Registrar presented the vote of thanks to the Chair and the members. The meeting concluded with the permission of the Chair.

7/7/2020
Director
IQAC, PRSU, Raipur
Director, IQAC
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur - 492010

(27)

गोपनीय मुद्रण भुगतान स्वीकृति बाबत्।

टीप :—वर्ष 2019—20 की विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं (I & III Sem. & II & IV Sem. (ATKT) DEC-JAN 2019-20) के गोपनीय मुद्रण काय हेतु अधिकृत फर्म, जिसको कार्यपरिषद् की 44वीं बैठक दिनांक 23/02/2019 (अध्यक्ष की अनुमति से प्रकरण क्रमांक—3) में अनुमोदन के फलस्वरूप अनुबंधित किया गया है।

अनुबंध फर्म द्वारा उक्त कार्य संपादन उपरांत राशि 11,81,025 (ग्यारह लाख इक्यासी हजार पच्चीस रूपये मात्र) का देयक प्रस्तुत किया गया है। जिसे गोपनीय विभाग द्वारा सत्यापित किया गया है।

अतः संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक 11,81,025 (ग्यारह लाख इक्यासी हजार पच्चीस रूपये मात्र) के भुगतान के पूर्व, माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

Pandey
31.8.20

(42)

विषयः— वि.वि. में प्रस्तावित महिला छात्रावास एंव गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु आर्कीटेक्ट फर्म से अनुबंध किये जाने के संबंध में।

विश्वविद्यालय में प्रस्तावित महिला छात्रावास एंव गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु वास्तुविद से संबंधित सेवाये देने हेतु भवन निर्माण समिति की अनुशंसा दिनॉक 06/02/2020 एंव कार्यपरिषद दिनॉक 14/02/2020 में हुये अनुमोदन अनुसार फर्म श्रीवास्तव बागरेचा एंड एसोशिएयट्स रायपुर को कार्य आदेश प्रदान किया गया है। राज्य शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में वि.वि में प्रस्तावित महिला छात्रावास एंव गेस्ट हाऊस निर्माण कार्य से संबंधित आर्किटेक्ट से कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वि. वि. यंत्री
पं.र.शं.शु.वि.वि.,रायपुर(छ.ग)

F:\Rastogi Sir\Karyaparisad 17-12-2019).Doc